



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan



क्रमांक : एफ.20(101/127/लोसू-2005)आकाशि/2024/2092 दिनांक : 02-01-2024

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय(कन्या/विधि महाविद्यालयों सहित),
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2024 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के राजकाज ईपत्रांक प.5(7)शिक्षा-3/2023-02512/12488108 दिनांक 17.12.2024 (इस विभाग में प्राप्ति दिनांक 27.12.2024)के साथ संलग्न राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पत्र क्रमांक 12390861 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक) का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर निर्धारित प्रारूप-I, II, III व IV में भरकर सूचना आयोग एवं उच्च शिक्षा(ग्रुप-3)विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रारूप में सूचना तत्काल तैयार कर आपके महाविद्यालय की gmail ID पर Spreadsheet में "RTI Information-2024" में दिनांक 10.01.2025 तक भरकर भिजवायें, ताकि शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को भिजवाई जा सके।

प्रारूप-I व-II

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन व धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर समयावधि वर्ष 2024

जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 3 + 4	समयावधि में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	समयावधि पश्चात में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त राशि रूपये में आवेदन शुल्क एवं सूचना शुल्क दोनों को मिलाकर	आयुक्तालय से महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	लम्बित प्रथम अपीलों की संख्या
9	10	11	11	12

प्रारूप-III

विभाग/लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2024 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

विभाग का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रारूप-IV

इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिये किये गये प्रयास

विभाग का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	किये गये प्रयास	टिप्पणी

प्रथम अपील में अपीलार्थी को सूचना प्रमाणित कर निर्णय पालनार्थ प्राप्ति के 07, 10, 15 व 21 दिवस या अविलम्ब रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवाये, जिसकी एक प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक), कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित करें, जिनके जवाब आदिनांक तक अपेक्षित हैं :-

राजकीय महाविद्यालय	A-44/2024 भीनमाल	A-148/2024 भीनमाल	A-159/2024 हिण्डौनसिटी	A-162/2024 शाहपुरा-भीलवाड़ा	A-181/2024, A-182/2024, A-183/2024 आर.आर.अलवर
	A-198/2024 पीपाड़सिटी	A-202/2024 बसेडी-धौलपुर	A-204/2024 कला अलवर		

(डॉ. अनिल कुमार यादव)

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)

क्रमांक : एफ.20(101/127/लोसू-2005)आकाशि/2025/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक : 02-01-2025

1. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 को उनके पत्रांक पत्रांक 12390861 दिनांक 13.12.2024 के संदर्भ में।
2. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के राजकाज ईपत्रांक प.5(7)शिक्षा-3/2023-02512/12488108 दिनांक 17.12.2024 के संदर्भ में।
3. विभागीय वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक)

27/12/24

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 5(7)शिक्षा-3/2023 -02512 जयपुर, दिनांक:

राज्य लोक सूचना अधिकारी,
आयुक्तालय,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2024 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 13.12.2024 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2024 (1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024) का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप I, II, III एवं IV में सूचना जिलेवार एकत्रित कर तत्काल/अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरिताभ कुमार आदित्य)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि- सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ओ.टी.एस. परिसर के पीछे झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 13.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya

Designation : Deputy Secretary

Date: 2024.12.17 17:01:42 IST

Reason: Approved





पंजीकृत

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ0टी0एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड़, जयपुर-302017
(फोन एवं फैक्स न. 0141-2719136)

क्रमांक प03(1)रा.सू.आ./वा.प्रति/2024/

दिनांक

समस्त विभागाध्यक्ष

शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2024 की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर 2024) का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना है जिसके लिये धारा 25(3) के तहत समस्त विभागों/ लोक प्राधिकरणों को सूचना देना अनिवार्य है।

अतः निवेदन है कि निर्धारित प्रारूप-I, II, III व IV में सूचना अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों से प्राप्त कर इन्हें आपके स्तर पर ही जिलेवार एकत्रित कर आयोग को 16 जनवरी, 2025 तक भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान करावें-

प्रारूप -I

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन
समयावधि वर्ष 2024

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)				सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि रूपयों में
जिले का नाम	मुख्यालय स्तर पर	जिला स्तर पर	कुल	समयावधि में	समयावधि पश्चात्			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- कॉलम 4=2+3 एवं कॉलम 5+6+7+8=4

प्रारूप -II

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी..... विभाग.....समयावधि वर्ष 2024

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)				निस्तारित		लम्बित (संख्या)
जिले का नाम	मुख्यालय स्तर पर	जिला स्तर पर	कुल प्राप्त अपील (संख्या)	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7

नोट:- कॉलम 4=2+3 एवं कॉलम 5+6+7=4

प्रारूप -III

विभाग/लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2024 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

विभाग का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी

प्रारूप -IV

इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के द्वारा किये गए प्रयास का विवरण
समयावधि वर्ष 2024

विभाग का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	किये गये प्रयासों का विवरण	टिप्पणी

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

भवदीय

सचिव,

राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर।RajKaj Ref
12390861

Signature valid

Digitally signed by Sumaveer Saini
Designation: Secretary
Date: 2024.11.23 11:26:02 IST
Reason: Approved